



48

नवीन प्रकरण 204/2015 निवाराजी 204-PBR/15  
रा.रा. श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल

मध्यप्रदेश ग्वालियर

1. नारायण पिता नाथूसिंह  
उम्र 60 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
2. मोहन पिता नाथूसिंह  
उम्र 55 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
3. कल्याण पिता नाथूसिंह  
उम्र 50 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
4. लक्ष्मण सिंह पिता नाथूसिंह  
उम्र 48 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
5. सोदानसिंह पिता नाथूसिंह  
उम्र 45 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
6. जादूसिंह पिता जवार सिंह  
उम्र 60 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. बिनू पिता नत्थू जी यादव  
उम्र 70 साल, धंधा व्यापार  
निवासी 237 संगमनगर इन्दौर

श्री. टी. टी. गुप्ता (एड.)  
राजस्व मण्डल नि. 24/01/15 को  
दस्तावेज

फ. 24-1-15  
केसक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री. टी. टी. गुप्ता  
24-1-15

120 अर्थात्

2. दर्यावसिंह पिता हुक्मा जी  
उम्र 70 वर्ष, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
3. प्रहलाद पिता हुक्मा जी  
उम्र 68 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
4. गीताबाई पिता हुक्मासिंह जी  
उम्र 62 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
5. रामीबाई पिता दर्यावसिंह  
उम्र 50 साल, धंधा खेती  
निवासी ग्राम रावद तहसील देपालपुर जिला इन्दौर
6. पटवारी ग्राम रावद हल्का नं. 34  
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर

प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व

संहिता के तहत

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा द्वितिय अपील प्रकरण क्रमांक 386/ अपील /2013- 14 में पारित आदेश दिनांक 5/12/14 से असंतुष्ट हो यह निगरानी निम्न एवं अन्य आधारों पर सादर प्रस्तुत है-

*(Handwritten signature)*

मत  
पति  
का  
माहीति  
ने मृत  
ण पत्र  
र, मृत  
ह प्रकरण  
में लिया

धार  
गीताबाई  
ने बाबद न्य  
की माहीति

R-204-PBR/15

16-10-18

आवेदन की ओर से प्रत्यक्ष उपरोक्त कोई उपो नहीं। कनाल ऑफिस की संवर्धन सिप्ली उपो आवेदन व उनके ऑफिस को प्रमाण-प्रमाण पर सीन कार प्रकाश लायाई गई। पर कोई उपो प्रति आवेदन की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अरम परवी के खारेज किया जाता है।

DD

क. प. उ.

क. प. उ.

विशेषाद्व  
18/10/18

क. प. उ.  
क. प. उ.